

न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का धोरीमन्ना

बनाम श्री पत्रावली
पुत्र श्री गैरसायल
जाति राजस्थानी
निवासी.....

प्रकरण संख्या :- 249/2016

निर्णय


दिनांक :- 13/5/11

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का धोरीमन्ना ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम धोरीमन्ना के आराजी खसरा नम्बर 433 रकबा 7.00 बीघा में से 500 वर्ग फीट भूमि किस्म BS भूमि पर गैर सायल द्वारा संवत् 2073 में डोली बनाम आलमजी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 A के सपठित 91 तहत बेदखली की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस के जरिए तलब किया गया। गैरसायल उपस्थित / अनुपस्थित। गैरसायल की ओर से कोई जबाब, साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं हुआ है।

मेरे द्वारा उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि गैर सायल द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जिससे गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 A के सपठित 91 तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से विवादित भूमि से बेदलख करने के आदेश दिये जाते हैं तथा वार्षिक लगान 01 रुपये रुपये का 50 गुणा न्यूनतम, 50 रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल किया जावे। टी0आर0ए0 तथा पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/5/2016 को मुकाम धोरीमन्ना पर सरे इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार धोरीमन्ना
जिला - बाडमेर